<u>**न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/**</u>
<u>**अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया**</u>
<u>**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–408/2026**</u>
<u>**विशेष वाद संख्या–405/2016**</u>

हरिओम उर्फ ओमहरि पुत्र बालेश्वर निवासी सोनू का अड्डा थाना दिबियापुर जिला औरैया।
.............अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–**149/2015**
धारा–**135 भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना–**दिबियापुर**, जिला–औरैया

<u>दिनांकः–18.03.2026</u>

1. जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त **हरिओम उर्फ ओमहरि** की ओर से अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्युत विभाग की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया।

2. अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण में उसने न्यायालय में जमानत आवेदन किया है। बिजली विभाग से जमा से सम्बन्धित रिपोर्ट नहीं आयी थी कि जिस कराण पूर्ण सुनवायी नहीं हो पा रही है। न्यायहित में दौरान अन्तिम सुनवाई अन्तरिम जमानत स्वीकृत होना अतिआवश्यक है। अतः दौरान विचारण प्रार्थनापत्र जमानत उसको अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत बकाया जमा कर दिया गया है।

4. बिजली विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क अदायगी के सम्बन्ध में आख्या हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

5. अभियुक्त व बिजली विभाग के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिजली बकाया जमा किया जाना बताया गया है परन्तु विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि पत्रावली पर विद्युत विभाग की आख्या उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को नियमित सुनवाई हेतु दिनांक–27.03.2026 तक अन्तरिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित है। तद्नुसार उसका अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा मु० 20,000/– रुपये (बीस हजार रुपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसको नियत तिथि तक अंतरिम जमानत पर मुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक–27.03.2026 को पेश हो। Bacchi Devi v. State of U.P. and Another (2025:AHC:136034)

( पारूल जैन )
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.18 16:25:41 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and
Sessions Court-1,Auraiya